न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील/डिक्री/टीए/7325/2006/भीलवाडा

1. रामस्वरूप पुत्र कन्हैयालाल – **मृतक (जरिये कायममुकाम)**

1/1. प्रेमबाई पत्नि रामस्वरूप सैन निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

2. कैलाशचंद पुत्र कन्हैयालाल सैन
3. सत्यनारायण पुत्र कन्हैयालाल सैन
4. राजमल पुत्र कन्हैयालाल सैन
5. श्रीमती पुष्पादेवी पत्नि श्रीगोपाललाल
6. हरीश पुत्र गोपालराम
7. तेजपाल पुत्र गोपाललाल
8. मु. लाली पुत्री गोपाललाल
9. मु. उमा पुत्री गोपाललाल
10. मु. सीमा पुत्री गोपाललाल
11. मु. मधु पुत्री गोपाललाल
12. मु. सपना पुत्री गोपाललाल

–समस्त निवासीगण ग्राम बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा।

....अपीलांट्स/वादीगण

बनाम

1. जसराज पुत्र कल्याण बारी निवासी ग्राम बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बनेडा जिला भीलवाडा।

....रेस्पोन्डेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री राम निवास जाट, सदस्य

उपस्थितः–

श्री जगदम्बा प्रसाद माथुर, अधिवक्ता, अपीलांट्स।
श्री समीर अहमद, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ।

निर्णय

दिनांकः- 30-01-2020

यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा द्वारा अपील सं. 277/2005 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07-09-2006 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. उक्त अपील के विचारण के दौरान अपीलार्थी संख्या 1 रामस्वरूप का देहान्त होने की स्थिति में उसके विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लिए जाने के क्रम में मियाद से बाधित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। हमने उक्त प्रार्थना पत्र बाबत उभयपक्ष को सुना व अंकित कारणों का अवलोकन किया। प्रकरण की परिस्थिति के मद्देनजर प्रार्थना पत्र प्रस्तुतीकरण में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर आलोच्य पत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मृतक के विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लिए जाने की आज्ञा पारित की जाती है।

3. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेडा के समक्ष अपीलार्थीगण/वादीगण ने एक वाद बाबत इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा तथा धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत ग्राम सुल्तानपुर तहसील बनेडा स्थित वाद पत्र में उल्लेखित विवादित आराजियात कुल किता 4 कुल रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा भूमि के संबंध में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व राज्य सरकार के विरूद्ध पेश किया। उक्त वाद पत्र का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपना जवाबदावा पेश कर अंकित कथनों को अस्वीकार कर वाद/वादीगण को खारिज करने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 2 राज्य सरकार तरतीबी पक्षकार होने के कारण उनके द्वारा जवाबदावा पेश नहीं किए जाने की स्थिति में उनके जवाबदावे का अवसर समाप्त किया। कालान्तर में विचारण न्यायालय ने दावे व जवाबदावे के आधार पर मूल वाद की कार्यवाही में अनुतोंष सहित 4 विवाद्यक कायम कर प्रत्येक विवाद्यक को पृथक-पृथक विरचित करते

हुए आज्ञा दिनांक 30–09–2005 पारित करते हुए अपीलार्थीगण के वाद को सिद्ध होना नहीं मानते हुए खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने प्रथम अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा के समक्ष अपील पेश किए जाने पर न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 07–09–2006 द्वारा खारिज कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखा। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर अपीलार्थीगण/वादीगण ने हस्तगत द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की।

4. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस अपील के गुणावगुण पर सुनी।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स/वादीगण ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय एवं डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि नवीन खसरा संख्या 677 जो वादी का है तथा खसरा संख्या 671/1 प्रतिवादी का है, के मध्य बंदोबस्त के पूर्व की नजरी नक्शे में खसरा संख्या 544/2 रकबा 2 बिस्वा मध्य में स्थित है। नवीन बंदोबस्त में यह रकबा विलोपित कर दिया गया और भूमि प्रतिवादी की बढा दी गई। जबकि पूर्व के नक्शें में यह भूमि वादी की थी, यहीं नहीं नवीन बंदोबस्त में वादी की भूमि चाह तक ही सीमित कर दी गई। आगे बताया कि खसरा संख्या 544/2 का मिलान क्षेत्रफल को रेकार्ड पर प्रदर्शित करने या उसे डिफेण्ड करने का दायित्व राज्य सरकार का था, परन्तु मामले में राज्य सरकार ने अपना जवाबदावा पेश नहीं किया गया। इस बाबत वादीगण द्वारा अपनी आपत्ति न्यायालय के समक्ष दर्ज करवा गई। उनका आगे कहना है कि वादीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 1 सीपीसी इस आशय का पेश किया गया कि पुराना खसरा संख्या 544/2 का नवीन मिलान क्षेत्रफल व खसरा प्राप्त नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में भूमि का मौका निरीक्षण किया जाना आवश्यक है। परन्तु विचारण न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र

को गलत तरीके से अपास्त कर दिया। उनका तर्क है कि वादीगण ने अपने वाद की ताईद में मौखिक साक्ष्य प्रदर्शित की है। उनका तर्क है कि वादी की चाह और प्रतिवादी की भूमि के मध्य पुरानी थोर की बाड बनी हुई है तथा वादीगण की भूमि उसकी चाह से और आगे तक की है परन्तु नवीन बंदोबस्त में उक्त मौका को बदलकर प्रतिवादी की भूमि वादी की चाह तक बढा दी गई। उनका कहना है कि बंदोबस्त विभाग को ऐसा करने की अधिकारिता नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि खसरा संख्या 677 रकबा चाह की खातेदारी अपीलार्थीगण की है और आराजी उनके पिता कन्हैयालाल के नाम से खातेदारी दर्ज है। आगे कहा कि जब तक उनके पिता जीवित थे तब तक भूमि उनके नाम थी, इसका प्रमाण जमाबंदी सम्वत 2023–2026 है तथा उनके देहान्त के बाद आराजी जमाबंदी सम्वत 2057–2060 उनके नाम दर्ज हुई है। ऐसी स्थिति में पुराने खसरा संख्या 544 के हाल खसरा संख्या 677 के बारे में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने गलत निर्णय पारित किए है। उक्त समस्त तथ्यात्मक व विधिक परिवेश में मामले में दोनों न्यायालय न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि के प्रावधानों के विपरीत पारित किए जाने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत द्वितीय अपील को स्वीकार कर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 07–09–2006 व उपखण्ड अधिकारी बनेडा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30–09–2005 को अपास्त करते हुए वादीगण के वाद को डिक्री किए जाने का निवेदन किया।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी ने अपीलार्थीगण की अपील का विरोध करते हुए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का समर्थन किया है। उनका कहना है कि वादीगण ने खसरा संख्या 544/2 का मिलान क्षेत्रफल पेश नहीं किया है, इस कारण वादीगण साबिक नक्शे के अनुसार बने हाल नक्शे में किस आधार पर तरमीम कराने का अधिकारी है, इस बाबत उनके द्वारा प्रलेखीय साक्ष्य प्रदर्शित नहीं की है। आगें बताया कि प्रदर्श–5 के अनुसार आराजी चाह संख्या 677 वादीगण के नाम दर्ज है जिसका रकबा 4 बिस्वा है किन्तु

साबिक आराजी संख्या 544/1 रकबा 4 बिस्वा भूमि कन्हैयालाल पिता हरजी नाई साकिन देह के नाम दर्ज है, जिसकी पुष्टि प्रदर्श–1 से होती है तथा साबिक आराजी संख्या 544/1 के हाल खसरा संख्या 677 होना पाया जाता है। परन्तु साबिक खसरा संख्या 544/1 रकबा 4 बिस्वा के नम्बरों में कांट–छांट होना प्रदर्शित होती है, जिससे यह स्पष्ट उजागर नहीं होता है कि हाल आराजी संख्या 677 के साबिक खसरा संख्या 544/1 से बनना पाया जाता हो। इस तथ्य को वादीगण ने किसी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं कराया है। उनका तर्क है कि दोनों पक्षों द्वारा दिनांक 09–03–2004 को प्रश्नगत रकबे की संयुक्त तरीके से पत्थरगढी करवाई है, जिस पर दोनों पक्ष सहमत थे, इसके बावजूद भी वादीगण ने अनुचित तरीके से वाद दायरी किया है। उनका यह भी तर्क है कि वादीगण द्वारा पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक से यदि कोई त्रुटिकारित की गई हो, इस बाबत वादीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष कोई विवरण पत्र पेश नहीं किया है तथा पत्थरगढी करवाने की स्थिति में वादी को इसका आभास हुआ तो ऐसी स्थिति में वादी को जरिये धारा 136 भू राजस्व के तहत प्रार्थना पत्र दायर कर अनुतोष प्राप्त करना चाहिए था। उनका आगे तर्क है कि घोषणा के दावे में विशेष खसरा नम्बर का किस दिशा में कितना रकबा अधिक है, उसे साक्ष्य से साबित करना चाहिए जो कि वादीगण द्वारा नहीं करवाया गया है। उक्त परिवेश में मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधि के परिप्रेक्ष्य में उचित है तथा जिनमें हस्तक्षेप करने के कोई ठोस कारण अपीलार्थीगण ने प्रदर्शित नहीं किए है। अन्त में उन्होंने अपील खारिज दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत कायम रखे जाने का निवेदन किया।

7. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समग्र रेकार्ड का गहन परीक्षण, दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मूल्यांकन किया।

8. दोनों अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों एवं पारित किए गए निर्णयों के प्रकाश में यह स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेडा के समक्ष अपीलार्थीगण/वादीगण ने एक वाद बाबत इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा तथा धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत ग्राम सुल्तानपुर तहसील बनेडा स्थित वाद पत्र में उल्लेखित विवादित आराजियात कुल किता 4 कुल रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा भूमि के संबंध में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व राज्य सरकार के विरूद्ध पेश किया। जिसका रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपना जवाबदावा पेश कर अंकित कथनों को अस्वीकार कर वाद/वादीगण को खारिज करने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 2 राज्य सरकार तरतीबी पक्षकार होने के कारण उनके द्वारा जवाबदावा पेश नहीं किए जाने की स्थिति में उनके जवाबदावे का अवसर समाप्त किया। कालान्तर में विचारण न्यायालय ने दावे व जवाबदावे के आधार पर मूल वाद की कार्यवाही में अनुतोंष सहित 4 विवाद्यक कायम कर प्रत्येक विवाद्यक को पृथक-पृथक विरचित करते हुए आज्ञा दिनांक 30-09-2005 पारित करते हुए अपीलार्थीगण के वाद को सिद्ध होना नहीं मानते हुए खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण ने प्रथम अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा के समक्ष अपील पेश किए जाने पर न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 07-09-2006 द्वारा खारिज कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखा।

9. प्रश्नगत प्रकरण में विवाद का बिन्दु यह है कि क्या वादीगण ग्राम सुल्तानपुर तहसील बनेडा स्थित प्रश्नगत रकबा खसरा संख्या 671/1 को साबिक नक्शे के अनुसार वर्तमान नक्शे में तरमीम कराने का अधिकारी है अथवा नहीं? उपलब्ध दस्तावेजात के आलोक से स्पष्ट है कि वादीगण ने खसरा संख्या 544/2 का मिलान क्षेत्रफल पेश नहीं किया है, इस कारण वादीगण साबिक नक्शे के अनुसार बने हाल नक्शे में किस आधार पर तरमीम कराने का अधिकारी है, इस बाबत उनके द्वारा न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार की कोई प्रलेखीय साक्ष्य प्रदर्शित नहीं की है। प्रदर्श-5 के अनुसार आराजी चाह संख्या 677 वादीगण के नाम दर्ज है

जिसका रकबा 4 बिस्वा है किन्तु साबिक आराजी संख्या 544/1 रकबा 4 बिस्वा भूमि कन्हैयालाल पिता हरजी नाई साकिन देह के नाम दर्ज है, जिसकी पुष्टि प्रदर्श–1 से होती है तथा साबिक आराजी संख्या 544/1 के हाल खसरा संख्या 677 होना पाया जाता है। परन्तु साबिक खसरा संख्या 544/1 रकबा 4 बिस्वा के नम्बरों में कांट–छांट होना प्रदर्शित होती है, जिससे यह स्पष्ट उजागर नहीं होता है कि हाल आराजी संख्या 677 के साबिक खसरा संख्या 544/1 से बनना पाया जाता हो। इस तथ्य को वादीगण ने किसी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं कराया है। मामले में यह तथ्य भी उजागर होता है कि दोनों पक्षों द्वारा दिनांक 09–03–2004 को प्रश्नगत रकबे की संयुक्त तरीके से पत्थरगढी करवाई है, जिस पर दोनों पक्ष सहमत थे, इसके बावजूद भी वादीगण ने अनुचित तरीके से वाद दायरी किया है। पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक से यदि कोई त्रुटिकारित की गई हो, इस बाबत वादीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष कोई विवरण पत्र पेश नहीं किया है तथा पत्थरगढी करवाने की स्थिति में वादी को इसका आभास हुआ तो ऐसी स्थिति में वादी को जरिये धारा 136 भू राजस्व के तहत प्रार्थना पत्र दायर कर अनुतोष प्राप्त करना चाहिए था। घोषणा के दावे में विशेष खसरा नम्बर का किस दिशा में कितना रकबा अधिक है, उसे समुचित व पूर्ण साक्ष्य से साबित करना चाहिए, जो कि वादीगण द्वारा नहीं करवाया गया है। हमारे द्वारा उपलब्ध रेकार्ड का विधि की रोशनी में सम्यक परीक्षण किया गया तथा हम पाते है कि मामले में विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त आज्ञा विधि सम्मत है, जिसको अन्यथा सिद्ध करने बाबत अपीलार्थीगण द्वारा कोई नवीन तथ्य हमारे समक्ष प्रकट नहीं किए है।

10. उक्त विधि सम्मत तरीके से पारित किए गए निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश करने पर आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित करते हुए न्यायालय ने अपील को अस्वीकार कर विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की है। हमारे द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील में दिए गए अभिमत का भी परीक्षण किया गया है। उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर आक्षेपित निर्णय विधिनुकूल पाये जाने के कारण ऐसे विधि सम्मत निर्णय के विरूद्ध

अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा पेश द्वितीय अपील के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

11. हस्तगत प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने विधि सम्मत समवर्ती निष्कर्ष अंकित किए है तथा वर्तमान में उपलब्ध स्थापित सिद्धान्तों के अनुसार समवर्ती निष्कर्षो में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि पारित किए निर्णय में विधि की भावना के विपरीत निर्णय पारित किया गया हो। परन्तु वर्तमान में प्रकरण में पारित आक्षेपित निर्णय विधायिका की भावना के अनुसरण में पारित किए जाने के कारण ऐसे निर्णय के विरूद्ध द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। तदनुसार आक्षेपित निर्णय व डिक्री विधि सम्मत पाये जाने के कारण उसके विरूद्ध पेश की गयी द्वितीय अपील स्वतः ही सारहीन/बलहीन होना दर्शित होती है। स्थिति यह प्रकट होती है कि अपीलार्थीगण ने अपील मीमो में असंगत आधारों को अभिवचित करने के कारण उन्हें किसी प्रकार का अनुतोष देय नहीं है।

12. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन/बलहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07-09-2006 तथा उपखण्ड अधिकारी बनेडा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30-09-2005 को यथावत बहाल रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राम निवास जाट)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य